न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 83/08 (223 आर0 टी0 एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2008/00050

उनवान

1. रामपाल पुत्र किरोरीलाल
2. सुरेशचन्द पुत्र किरोरीलाल
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र किरोरीलाल

} जाति ब्राहम्ण नि0 जगनेर तह0 खैरागढ जिला आगरा।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. पातीराम पुत्र नथुआ जाति ब्राहम्ण निवासी कोरीपुरा (कॉसौटी खेडा) तहसील बाडी जिला धौलपुर।
2. रामदुलारे पुत्री हरिविलास जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खैमरी तहसील बसेडी जिला धौलपुर (दौराने अपील फौत)
   2/1. भगवानदेई पुत्री रामदुलारे पत्नी महेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी धौलपुर।
3. शिवशंकर पुत्र राजाराम जाति ब्राम्हण निवासी सिंगरावली तहसील खैरागढ जिला धौलपुर।
4. छोटा पुत्र लालाराम जाति ब्राहम्ण निवासी कोरीपुरा (कॉसौटी खेडा) तहसील बाडी जिला धौलपुर (दौराने अपील फौत)
   4/1. रामदुलारी वेवा छोटा (दौराने अपील फौत)

   4/2. नन्दकुमार
   4/3. सियाराम
   4/4. मुकेश
   4/5. गिर्राज
   4/6. राजेश

   } पुत्रगण छोटा जाति ब्राहम्ण निवासी कोरीपुरा (कॉसौटी खेडा) तहसील बाडी जिला धौलपुर।

   4/7. फूलवती पुत्री छोटा पत्नी सीताराम जाति ब्राहम्ण
   4/8 जनकश्री पुत्री छोटा पत्नी शिवराम जाति ब्राहम्ण

   } निवासी जारे तह0 राजाखेडा ।

   4/9. मीना उर्फ भूरी पुत्री छोटा पत्नी राजकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी डागरपुर तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।
5. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार बाडी।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी दिनांक 31.05.2008 प्र0स0 क्रमशः 5/05 उनवान पातीराम बनाम रामपाल।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री सुरेश श्रीवास्तव उपस्थित।
2. अधिवक्ता रैस्पो0 श्री मुरारीलाल अनुपस्थित।

भू प्रवन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

निर्णय दिनांक :– 23.07.2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2008 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 संख्या 01 की ओर से विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट एवं शेष रैस्पो0 एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 1788/1824 रकवा 4 बीघा 19 विस्वा व खसरा नम्बर 1761 रकवा 02 बीघा 08 विस्वा वाके ग्राम सहेडी नं0 1 तहसील बाडी में स्थित है। जिसमें से आराजी खसरा नम्बर 1788/1824 के सम्पूर्ण रकवा व खसरा नम्बर 1761 में 1/4 भाग के वादी/रैस्पो0 संख्या 01 के कुटुम्बी भाई सरवन सिंह पुत्र बलवन्त सिंह गैर खातेदार काश्तकार थे। खसरा नम्बर 1761 के शेष भाग पर प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 04 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार गैर खातेदार काश्तकार थे। सरवन सिंह पुत्र बलवन्त सिंह की शादी नहीं हुयी थी ना ही कोई औलाद थी। अतः प्रारम्भ से ही सरवन वादी रैस्पो0 संख्या 01 के साथ रहता था। सरवन सिंह ने अपने जीवनकाल में एक अंतिम वसीयत दिनांक 18.10.2001 को वादी असल रैस्पो0 संख्या 01 के हक में नोटेरी से प्रमाणित कराकर सौंप दी थी। सरवन सिंह का देहान्त दिनांक 25.12.2004 को वाके ग्राम कोरीपुरा में हो चुका है। बाद मृत्यु वादी रैस्पो0 संख्या 01 ने पटवारी हल्का को वसीयत के आधार पर दाखिला खारिज खोलने की कहा तो उन्होनें साफ इंकार कर दिया। अतः वाद प्रस्तुत कर वसीयत के आधार पर विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2008 से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दंर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किया गया। बार बार आवाज दिलवाये जाने पर भी ना तो रैस्पो0 एवं ना ही उनके अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनो को दोहराते हुये, कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि सरवन रैस्पो0 संख्या 01 के पास ना रहते हुये, अपीलाण्ट के पास रहता था। सरवन सिंह असल रैस्पो0 संख्या 01 व अपीलाण्ट का कुटुम्बी भाई था। सरवन सिंह ने एक वसीयत रजिस्टर्ड अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक 27.06.1997 को निष्पादित करायी। उक्त वसीयत के आधार पर इंतकाल भी खोला गया। जबकि रैस्पो0 संख्या 01 की वसीयत नोटेरी से प्रमाणित है। रैस्पो0 संख्या 01 ने रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर खोले गये इंतकाल की कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी। रैस्पो0 संख्या 01 की वसीयत गवाहो के बयानो से संदेहस्पद है एवं प्रमाणित नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0 संख्या 01 के दावे को डिक्री कर दिया। वसीयत पर सरवन सिंह के हस्ताक्षर की शिनाख्त नहीं है। गवाह भी स्थानीय ना होकर दूसरे गॉव का रहने वाला है। रैस्पो0 संख्या 01 अपीलाण्ट के पक्ष में हुयी रजिस्टर्ड वसीयत को स्वीकार करते हैं। सरवन की मृत्यु कोरीपुरा में ना होकर जगनेर में हुयी थी।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

गवाह ने बताया है कि सरवन की मृत्यु जगनेर में हुयी हो तो मुझे पता नहीं। वसीयत लिखने वाले अभिभाषक ने अपने बयान/जिरह में कहा है कि राजेन्द्र गवाह मढाभाव धौलपुर का रहने वाला है, स्थानीय गवाह लाने के लिये मैनें सुझाव नहीं दिया एवं सरवन के अंगूठा को शिनाख्त करना आवश्यक नहीं समझा, मेरे जो हस्ताक्षर वसीयत पर हैं वह वसीयत ड्राफ्ट के हैं, शिनाख्त के लिये नहीं है। नोटेरी की जिम्मेदारी थी कि वह सरवन के हस्ताक्षरो को प्रमाणित कराते। इसी प्रकार पीडब्ल्यू 4 लीलाधर ने अपने बयान/जिरह में बताया है कि नारायण लाल ने हिन्दी में हस्ताक्षर किये एवं मिला जुला के किये, हस्ताक्षरो को कोई नहीं पहचान सकता कि हिन्दी में हैं या अग्रेंजी में हैं। राजेन्द्र गवाह ने जब हस्ताक्षर किये तो मैं बाथरूम करने चला गया था। सरवन के अलावा किसी ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर नहीं किये। जमाबन्दी की नकल सरवन के पास थी। इस प्रकार वसीयत को रैस्पो0 संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रमाणित नहीं कराया है। वसीयत पूर्ण रूपेण फर्जी है। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1993 पेज 246, 1972 पेज 202, 1989 पेज 218, 1989 पेज 168, आरएलआर 2001(3) पेज 559, 1993(2) पेज 477, 2002(2) पेज 596, 2004(2) पेज 15, 1995(2) पेज 562, 1997(1) पेज 31, एआईआर 1965 पेज 354 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने बहस अपीलाण्ट पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट व रैस्पो0 संख्या 01 दोनों ही वसीयत के आधार पर सरवन सिंह की आराजी पर खातेदारी अधिकार क्लेम कर रहे हैं। अपीलाण्ट की वसीयत पूर्ववर्ती सन् 1997 की है, जो रजिस्टर्ड है एवं रैस्पो0 संख्या 01 की वसीयत सन् 2001 की है, जो नोटेरी से प्रमाणित है। अपीलाण्ट के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर इंतकाल भी खुला है। जिसे निरस्त कराने की कोई कार्यवाही रैस्पो0 संख्या 01 द्वारा नहीं की गयी है। दोनों ही पक्षो के पास सरवन के मृत्यु प्रमाण पत्र भी हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न हैं। अपीलाण्ट द्वारा जो मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, में सरवन की मृत्यु का स्थान जगनेर में होना अंकित है एवं रैस्पो0 संख्या 01 द्वारा जो मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, में सरवन की मृत्यु कोरीपुरा में होना अंकित है। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रैस्पो0 संख्या 01 दावा प्रस्तुत किया है। अतः उन्हें अपनी वसीयत स्वयं साबित करनी पडेगी। वादी रैस्पो0 संख्या 01 ने अपनी वसीयत को साबित कराने हेतु जो गवाह आदि प्रस्तुत किये हैं उन सभी गवाहो के बयानो में विरोधाभास है। स्वयं पीडब्ल्यू 1 पातीराम जिरह में यह मानते हैं कि सरवन के हस्ताक्षरो की शिनाख्त नहीं हो रही है। लीलाधर गवाह ग्राम मढाभाव का रहने वाला है, मेरा कुछ नहीं लगता। अर्थात लीलाधर स्थानीय गवाह नहीं था, तो वह किस प्रकार सरवन व पातीराम को जान सकता है एवं पातीराम के पक्ष में गवाही दे सकता है, विचारणीय है। आगे कथन किया है कि हमारे भाई सरवन ने रजिस्टर्ड वसीयत करने से मना कर दिया, नारायण लाल वकील साहब ने हस्ताक्षर अंग्रेजी में किये थे, रामपाल के पक्ष में वसीयत रजिस्टर्ड है यह मुझे पटवारी हल्का से ज्ञात हुआ, रामपाल के पक्ष में दाखिला हो चुका है। गवाह राजेन्द्र ने कहा है कि सरवन की मृत्यु कोरीपुरा में हुयी, लीलाधर जो दूसरा गवाह है, मैं उसे नहीं जानता। लीलाधर को मैनें हस्ताक्षर करते नहीं देखा, मैनें जो इस पर इबारत लिखी है उसे देखकर हस्ताक्षर पहॅचाने हैं, सरवन की मृत्यु कहॉ हुई या जगनेर में हुई हो, मुझे नहीं पता, सरवन की मृत्यु किस तारीख को हुई मुझे ध्यान नहीं है। गवाह पीडब्ल्यू 3 नारायण लाल (अभिभाषक) ने कहा कि मैनें यह सुझाव नहीं दिया कि लोकल का गवाह लेकर आओ, मैने रजिस्ट्रेशन के लिये वसीयत को आवश्यक नहीं समझा, पास बुक थी, दो खसरा

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

नम्बर थे मकान का नक्शा वसीयत के साथ नहीं लगाया, मैंने व्यक्तिगत जानने के कारण हस्ताक्षर अंगूठा को शिनाख्त नहीं करवाया, मैंने सरवन के अंगूठा को शिनाख्त करना आवश्यक नहीं समझा यह बात सही है कि वसीयत पर हस्ताक्षर मैनें ड्राफ्ट के किये हैं, शिनाख्त के नहीं किये, केडी शर्मा (स्टाम्प विक्रेता) की जिम्मेदारी थी सरवन को शिनाख्त करने की उन्होनें नहीं करायी। गवाह पीडब्ल्यू 4 लीलाधर ने जिरह में कहा कि नारायण लाल जी ने हिन्दी में हस्ताक्षर किये फिर कहा कि मिला जुला के किये, हस्ताक्षर को कोई नहीं पहचान सकता कि हिन्दी में है या अंग्रेजी में हैं। राजेन्द्र दूसरा गवाह ने जब हस्ताक्षर किये थे तब बाथरूम नीचे गया था, सरवन कहाँ मरे मुझे नहीं पता, टाईपिस्ट का नाम मुझे नहीं पता, मुझे सरवन बुलाकर लाया था, नोटेरी इत्यादि मेरे सामने नहीं हुये, मैं चला गया था। इस प्रकार प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 01 के सभी गवाहो के बयान विरोधाभासी हैं। इसके अलावा प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में नोटेरी के कोई बयान आदि नहीं कराये हैं। जबकि नोटेरी को मय रजिस्टर्ड साक्ष्य न्यायालय में बयान कराया जाना आवश्यक था, जो नहीं कराया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम यह पाते हैं कि प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 01 ने अपनी वसीयत को पूर्ण रूपेण साबित नहीं कराया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी गवाहों के बयानो में इतने विरोधाभास होने के बाबजूद प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 01 का दावा डिक्री करने में भूल की है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार करते हुये, प्रकरण को पुनः उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2008 निरस्त किये जाकर, प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को पुनः साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुये, विधि अनुरूप निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारों को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.08.2024 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर